न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 77/16 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2016/00499

अनवान्

1. श्री नवलराम उर्फ नौलाराम पिता धनराम गुर्जर निवासी मेडता तहसील मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री शंकरलाल पिता भूरा गुर्जर निवासी 52 टेकरी, उदयपुर तहसील गिर्वा।
2. श्री राकेश पिता भूरा गुर्जर निवासी 52 टेकरी, उदयपुर तहसील गिर्वा।
3. श्रीमती सीता पत्नी भूरा गुर्जर निवासी 52 टेकरी, उदयपुर तहसील गिर्वा।
4. श्रीमती रेखा पुत्री भूरा पत्नी पुष्करलाल गुर्जर निवासी बिच्छुघाटी वार्ड नम्बर 2 नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा।
5. श्रीमती संगीता पुत्री भूरा पत्नी महेश गुर्जर निवासी हनुमार मंदिर के पीछे, टेकरी उदयपुर तहसील गिर्वा।
6. श्रीमती सुनिता पुत्री भूरा पत्नी गुर्जर निवासी 52 टेकरी, उदयपुर तहसील गिर्वा।
7. पटवारी, पटवार हल्का मेडता तहसील मावली।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री सुशील कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 6

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 09.04.2026

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा मोरिया पटवार हल्का मेडता तहसील मावली के आराजी नम्बर 898, 903, 904, 913, 915, 916, 918 किता 7 कुल रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में मुझ प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 6 के पिता/पति स्व. भूरा गुर्जर के नाम पर खातेदार काश्तकार के रूप में अंकित हैं। भूरा जी गुर्जर का स्वर्गवास दिनांक 03.02.2016 को हो चुका है जिसके विधिक वारिस विपक्षी संख्या 1 से 6 हैं।
2. यह कि मृतक भूरा गुर्जर जो कि मुझ प्रार्थी का सगा भाई था और मानाराम जी गुर्जर निवासी टेकरी उदयपुर जो कि हमारे सगे काकाजी थे जिनके कोई संतान नहीं होने से बचपन से ही अर्थात् जब भूरा गुर्जर की आयु करीबन 5 वर्ष की थी तब हमारे काकाजी मानाराम जी गुर्जर ने भूरा गुर्जर को गोद देने हेतु मेरे माता पिता को निवेदन किया जिसे स्वीकार कर मेरे माता पिता ने भी अपने पुत्र भूरा गुर्जर को सामाजिक रीति

रिवाजानुसार मानारामजी गुर्जर के गोद दे दिया तभी से अर्थात् विगत करीबन 50 वर्षों से भूरा जी गुर्जर अपने अंतिम समय तक उदयपुर में मानाराम जी गुर्जर के पास पुत्र की हैसियत से निवास करता रहा था और स्व. मानाराम जी गुर्जर की समस्त चल अचल सम्पति पर पुत्र की हैसियत से काबिज हैं। मेरे भाई भूरा गुर्जर का दिनांक 03.02.2016 को स्वर्गवास हो चुका हैं।

3. यह कि चूंकि मेरा भाई भूरा गुर्जर बचपन से ही हमारे काकाजी मानाराम जी गुर्जर निवासी उदयपुर के यहां गोद चला गया जिससे उसका अपने मूल जायन्दा पिता अर्थात् धनराम जी गुर्जर की समस्त चल अचल सम्पति में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं बचा क्योंकि भूरा गुर्जर विगत 50 वर्षों से मानाराम जी गुर्जर की चल अचल सम्पति पर काबिज है और उदयपुर में ही निवास कर रहा है इसका हमारी उक्त वर्णित पैतृक भूमि पर न तो पूर्व में कब्जा रहा, न ही वर्तमान में इसके कब्जे उपभोग में हैं परन्तु हमारे पिताजी धनराम जी गुर्जर के स्वर्गवास के पश्चात् मृतक भूरा गुर्जर ने राजस्व अधिकारियों से मिली भगत कर उक्त वर्णित भूमि को विरासत से 1/2 हिस्सानुसार अपने नाम पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन करवा ली और बंटवारा करवा लिया जिस अनुसार विपक्षी संख्या 1 से 6 के पिता/पति भूरा गुर्जर के हिस्से में आराजीयात 898, 903/1, 916 मी., 918/4 किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा दर्ज की गयी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मृतक भूरा गुर्जर मुझ प्रार्थी को यह कहकर तत्कालीन पटवारीजी के पास लेकर गया कि मैं तो मानाराम जी के गोद चला गया हूं इसलिए हमारी जो पैतृक भूमि है वो सभी आपके नाम पर करवा देता हूं इसके लिए आप पटवारी के यहां आकर अपने हस्ताक्षर कर दो, चूंकि मैं प्रार्थी अनपढ़ हूं और मात्र हस्ताक्षर करना ही जानता हूं इसलिए मेने अपने भाई की बात पर विश्वास कर अपने हस्ताक्षर कर दिये थे परन्तु बाद में जमाबन्दी देखने पर पता चला कि भूरा गुर्जर ने जो मेरे हस्ताक्षर करवाये थे उसके आधार पर पटवारी साहब ने हम दोनों भाईयों के मध्य बंटवारा कर हमारे अलग अलग नाम पर जमीन अंकित कर दी जबकि मृतक भूरा गुर्जर का उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार कानूनन भी नहीं बनता हैं।

4. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात मौरूसी जायदाद हो पूर्व में मुझ प्रार्थी के पिता धनराम जी गुर्जर के नाम पर अंकित थी और चूंकि मेरा भाई भूरा गुर्जर बचपन से ही हमारे काकाजी मानाराम जी गुर्जर के यहां गोद चला गया था इसलिए उसका उक्त पैतृक भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं बचा, न ही इसका उक्त भूमि पर कभी कब्जा रहा है और न ही वर्तमान में इसके कब्जे उपभोग में है परन्तु मृतक भूराजी ने राजस्व अधिकारियों से मिली भगत कर मेरे पिताजी की मृत्यु पश्चात् विरासत

से उक्त पैतृक भूमि में 1/2 हिस्सा अपने नाम पर दर्ज करवा लिया जबकि मृतक भूरा गुर्जर का उक्त पैतृक भूमि में कभी कब्जा नहीं रहा और न ही कानूनन इसका उक्त पैतृक भूमि में हिस्सा बनता है इसलिए मैं प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि जो वर्तमान में मृतक भूरा गुर्जर के नाम पर अंकित है उक्त सम्पूर्ण चार बीघा उन्नीस बिस्वा भूमि को अपने नाम पर घोषित करवा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में स्वतन्त्र रूप से अपने नाम पर अंकन करवाने का अधिकारी हूं जिसके लिए अलग से वाद प्रस्तुत कर दिया हैं।

5. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात पैतृक भूमि है और चूंकि मृतक भूरा गुर्जर जो कि मेरा सगा भाई था मानाराम गुर्जर के गोद चले जाने से उसका उक्त पैतृक भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं बचता है परन्तु मृतक भूरा गुर्जर ने राजस्व अधिकारियों से मिली भगत कर मेरे पिता धनराम जी गुर्जर की मृत्यु पश्चात् विरासत से उक्त पैतृक भूमि में 1/2 हिस्सा अंकित करवा लिया और मुझे धोखे में रखकर बंटवारा करवाकर भूमि को अपने नाम पर अंकन करवा ली जबकि मृतक भूरा गुर्जर का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है, न ही कभी इसके कब्जे काश्त में रही है और चूंकि वर्तमान में भूरा गुर्जर का भी स्वर्गवास हो चुका है इसलिए विपक्षी संख्या 1 से 6 विरासत से उक्त भूमि को अपने नाम पर अंकित करवा किसी अन्य को विक्रय करने पर आमादा है जिसका इनको कोई विधिक अधिकार नहीं है इसलिए विपक्षी संख्या 7 पटवारी साहब मेडता को न्यायहित में जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक हो गया है कि वो उक्त वर्णित भूमि का नामान्तरकरण ताफैसला प्रार्थना विपक्षी संख्या 1 से 6 के नाम पर नहीं खोले और न ही विपक्षी संख्या 1 से 6 उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम पर खुलवावे और राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी की यथावत् स्थिति बनाये रखें।

6. यह कि प्रार्थी का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि उक्त वर्णित आराजीयात मौरूसी जायदाद है और मुझ प्रार्थी के नाम पर 1/2 हिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित है, सुविधा संतुलन भी मेरे पक्ष में है क्योंकि मृतक भूरा गुर्जर बचपन से ही हमारे काकाजी मानाराम गुर्जर के यहां गोद चला गया था जिससे उसका उक्त पैतृक भूमि में स्वतः कानूनन कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं रहा और मैं प्रार्थी उक्त वर्णित सम्पूर्ण पैतृक भूमि पर मृतक भूरा गुर्जर व विपक्षी संख्या 1 व 6 की जानकारी में विगत 50 से अधिक वर्षों से लगातार निरन्तर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा हूं और मेरे ही कब्जे काश्त में है और यदि विपक्षी संख्या 1 से 6 उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम पर खुलवा कर किसी अन्य को विक्रय कर देंगे तो व्यर्थ में मुकदमेंबाजी होगी व मैं प्रार्थी उक्त भूमि से वंचित हो जांऊगा इससे जो क्षति मुझ प्रार्थी को होगी उसका मूल्यांकन

रूपयों पैसों में किया जाना असंभव है और अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी।

7. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण अंतिम बार दिनांक 25.05.2016 को उत्पन्न हुआ जब मुझ प्रार्थी ने भूरा गुर्जर की मृत्यु पश्चात् विपक्षी संख्या 1 से 6 को उक्त वर्णित भूमि जो मृतक भूरा के नाम पर अंकित है मुझ प्रार्थी के नाम पर करवाने को कहा तो इन्होने मना कर दिया व किसी अन्य को विक्रय करने की धमकी दी, उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1 से 6 उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम पर खुलवाने बाबत् कोई दस्तावेज विपक्षी संख्या 7 के समक्ष प्रस्तुत करे तो विपक्षी संख्या 7 पटवारी साहब मेडता इनके नाम पर नामान्तरकरण नहीं खोले एवं राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी की यथावत् स्थिति बनाये रखें और विपखी संख्या 1 से 6 मुझ प्रार्थी को शांतिपूर्वक उक्त भूमि पर काश्त करने देवें इसमें किसी प्रकार की बाधाएं न स्वयं उत्पन्न करें, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट परिवारजन आदि से करवावें, न उक्त प्रार्थनाग्रस्त भूमि किसी अन्य को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करें।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 6 द्वारा जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में हम विपक्षीगण के पिता भूरा जी एवं प्रार्थी नवलराम के बीच वर्णित जमीन का बंटवारा हो चुका हैं। उक्त बंटवाडा सन् 2007 में प्रार्थी की सहमति से हुआ है इस प्रकार वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड हम विपक्षीगण के नाम पर आराजी नम्बर 898 रकबा 1 बीघा, आराजी नम्बर 903/1 रकबा 9 बिस्वा, आराजी नम्बर 916 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 918 रकबा 2 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा जमीन पूर्व में हम विपक्षीगण के पिताजी भूराजी के नाम पर बंटवारा होकर राजस्व रेकार्ड में उनके नाम पर अंकित हुई है और उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि रेवेन्यु रेकार्ड में हमारे नाम पर दर्ज हैं।

9. यह कि मानाराम गुर्जर ने हम विपक्षीगण के पिता भूरा जी गुर्जर को कभी भी गोद नहीं रखा सारे तथ्य गलत अंकित किये हैं। अगर वास्तव में भूरा जी को गोद रखा होता तो प्रार्थी ने हमारे पिताजी के जीवनकाल में उक्त जमीन बाबत् कोई कार्यवाही करता जो नहीं की बल्कि जब प्रार्थी एवं हमारे पिताजी भूरा जी के पिताजी की मृत्यु हुई उसके बाद रेवेन्यु रेकार्ड में जमीन प्रार्थी एवं विपक्षीगण के पिताजी भूरा जी के नाम दर्ज हुई अगर भूरा जी गोद गये होते तो जमीन अकेले प्रार्थी के नाम पर दर्ज होती। दोनों भाईयों के नाम दर्ज होने के बाद भी प्रार्थी के जमीन अपने नाम पर दर्ज होने के बाद भी प्रार्थी ने जमीन अपने नाम पर कराने के लिए प्रार्थी ने पिताजी के जीवनकाल में कोई

कार्यवाही नहीं की बल्कि स्वयं प्रार्थी ने 2007 में दोनों भाईयों ने आपसी सहमति से उक्त वर्णित जमीन 1/2 हिस्सानुसार बंटवारा किया तथा दोनों के खाते अलग हो गये। प्रार्थी ने गोद जाने बाबत् किसी प्रकार का कोई दस्तावेज गोदनामा, राशनकार्ड, वोटर लिस्ट इत्यादि भी पेश नहीं किये। इन सब दृष्टियों से प्रार्थी का यह कहना कि भूरा जी मानारामजी के गोद गये सर्वथा गलत कथन हैं। प्रार्थी ने यह भी अंकित नहीं किया कि प्रार्थी एवं हम विपक्षीगण के पिताजी भूराजी जो दोनों धन्नाराम जी के पुत्र होकर सगे भाई हैं। धन्नाराम जी का देहावसान कब हुआ तथा जब धन्नाराम जी का स्वर्गवास हुआ उसके बाद पटवारी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण दोनों भाईयों के नाम पर खुला और प्रार्थी स्वयं बडा भाई था और हमारे पिताजी छोटे भाई थे। प्रार्थी ने उस नामान्तरकरण को कभी चेलेन्ज नहीं किया न उसकी कोई अपील ही की। प्रार्थी ने दोनों भाईयों के आपस में बंटवारा कब किया उसकी भी कोई तारीख अंकित नहीं की। प्रार्थी का यह कहना भी गलत है कि भूरा गुर्जर मुझ प्रार्थी को यह कहकर तत्कालीन पटवारी के पास लेकर गया कि मैं तो मानाराम जी के गोद चला गया इसलिए हमारी पैतृक भूमि है सभी आपके नाम पर करवा देता हूं इसके लिए आप पटवारी के यहां आकर हस्ताक्षर करों चूंकि मैं प्रार्थी अनपढ़ हुं मात्र हस्ताक्षर करना ही जानता हुं इस कारण से भाई की बात पर विश्वास कर हस्ताक्षर कर दिये। यह कथन इसलिए भी गलत है कि प्रार्थी स्वयं बडा भाई था और हमारे पिताजी छोटे भाई थे ऐसी अवस्था में बडे भाई को बरगलाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता अगर यह बात सही होती तो प्रार्थी भूराजी के जीवनकाल में उनके विरूद्व फौजदारी कार्यवाही करवा सकता था लेकिन प्रार्थी ने जीवनकाल में कोई कार्यवाही नहीं कराई इससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी ने केवल मुकदमा करने के लिए यह झुंठे कथन अंकित किये हैं।

10. यह कि प्रार्थी का कोई प्राइमाफैसी केस नहीं है, न ही इनके पक्ष में सुविधा संतुलन ही हैं। आज से करीबन दस वर्ष पूर्व प्रार्थी और हमारे पिताजी के मध्य जमीन का बंटवारा हो चुका था और उस बंटवारानुसार अपने हिस्से में आई जमीन हमारे कब्जे काश्त में हो उपयोग उपभोग कर रहे हैं। इस तरह प्रार्थी ने गलत दावा पेश किया है जो चलने योग्य नहीं होकर खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थी को हमारे विरूद्व कोई प्रार्थना पत्र कारण पैदा नहीं होता। जब हमारे पिताजी व विपक्षीगण के पिताजी का स्वर्गवास होने के बाद दोनों का नामान्तरण खुला है इसलिए बिनाय प्रार्थना उस तारीख से पैदा होना लिखता जो नहीं लिखा हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिथ्या व मनगढन्त तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

11. **विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया** कि प्रार्थी स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में यह मान रहा है कि प्रार्थी एवं भाई भूराजी के बीच राजस्व रेकार्ड में 1/2 हिस्सानुसार जमीन अंकन

करवा तथा बंटवारा करवा दिया है तथा आराजी नम्बर 898, 903/1, 916 मी., 918/4 किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि भूराजी के हिस्से में दर्ज की गई। वास्तव में गोद वाली बात होती तो नवलराम जी उस समय जमीन का बंटवारा नहीं करातें। चूंकि मानाराम जी के रहने का मकान था जिसकी वसीयत हमारे पिताजी भूरालाल जी के पक्ष में की थी और वो मकान भूरालाल जी की वसीयत के हिसाब से आया तथा उस वसीयत में भी मानाराम जी ने भूरालाल पिता धन्नाराम अंकित किया है इसलिए भी यह स्पष्ट है कि हमारे पिताजी भूराजी मानाराम जी के गोद नहीं गये हैं। इस तरह केवल हमें परेशान करने की गरज से यह झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। अगर वास्तव में हमारे पिताजी मानाराम जी के गोद पांच साल की आयु में चले गये होते तो उनको हमारे पिताजी के पक्ष में 02.08.1998 को रजिस्टर्ड वसीयतनामा कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर वास्तव में भूराजी पांच साल की उम्र में मानाराम जी के गोद गये होते तो जब भूरा जी ने स्कूल में प्रवेश किया उस समय उनके पिताजी का नाम मानाराम लिखा होता तथा जब भूरा जी की राजस्थान पुलिस में सर्विस लगी तब उसमें भी पिताजी का नाम मानाराम लिखा होता जबकि भूरालाल जी गुर्जर का राजस्थान पुलिस के सर्विस रिकार्ड में भूरालाल पिता धन्नाराम गुर्जर नाम लिखा हुआ हैं। प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र मूल रूप से इस पर आधारित है कि भूरा जी मानाराम जी गुर्जर के यहां गोद चले गये इसलिए धन्नाराम की सम्पति में उनको कोई अधिकार नहीं रहा जबकि हम विपक्षीगण का यह कहना कि हमारे पिताजी कभी भी मानाराम गुर्जर के यहां गोद नहीं गये ऐसी अवस्था में इस मामले का मुख्य विवाद इस विषय पर है कि क्या विपक्षी के पिताजी भूरा जी मानाराम जी के यहां गोद गये या नहीं और गोद का प्रश्न तय करने का अधिकार रेवेन्यु न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है इसलिए इस आधार पर भी यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं।

12. **काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि** वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में आराजी नम्बर 898, 903/1, 916 मी., 918/4 किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में हम विपक्षीगण के नाम पर दर्ज है और हम खातेदार की हैसियत से काबिज है, हमने वहां पर दो कमरे बना रखे है तथा एक गायों का शेड बना रखा है। जहां पर गाये बंधती है, लाईट कनेक्शन ले रखा है, गेट लगा हुआ है। उक्त बंटवारा स्वयं प्रार्थी की सहमति से सन् 2007 में हुआ जिसे करीबन 10–11 साल हो गये। प्रार्थी इस मिथ्या प्रार्थना पत्र के बहाने हमारे नाम व कब्जे की जमीन को हडपना चाहता है तथा हमारे कब्जे काश्त की जमीन में बाधा करने पर उतारू है ज.बकि उसको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, प्रार्थी धमकी देकर जबरन हमारी खातेदारी व कब्जे की जमीन पर कब्जा करना चाहता है इसलिए हम विपक्षीगण प्रार्थी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी

कराने के अधिकारी है कि प्रार्थी हमारे नाम व कब्जे की जमीन पर किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, न कब्जा करें, न किसी प्रकार की बाधा न स्वयं करे न अपने नौकर चाकर परिवारजन आदि से करवावें। बिनाय मुखासमत काउन्टर क्लेम प्रार्थी द्वारा हमारे विरूद्व उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से तथा हमारे कब्जे काश्त की जमीन में दखलन्दाजी करने से तथा दिनांक 01.07.2016 को धमकी दी कि जबरदस्ती तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे, उत्पन्न हुआ व उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें एवं हम विपक्षीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाने की कृपा करें।

13. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

14. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दुओं पर विवेचन आवश्यक हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 के पिता/पति के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज थी जो सहमति बंटवाडे से प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 6 के पिता/पति के नाम पृथक—पृथक दर्ज हुई। प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में धनराम जी के नाम दर्ज थी। विपक्षी संख्या 1 से 6 के पिता/पति प्रार्थी का सगा भाई होकर हमारे काकाजी मानाराम गुर्जर के यहां गोद चला गया था इसलिए विपक्षी संख्या 1 से 6 का उक्त वादग्रस्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं था फिर भी विपक्षी संख्या 1 ने धनराम जी के फौत होने पर विरासत के आधार पर अपने नाम भी नामान्तरकरण पारित करवा लिया। विपक्षी संख्या 1 से 6 का कथन है कि विरासत का नामान्तरकरण सही पारित हुआ है। हमारे पिता/पति कभी भी गोद नहीं गये हैं। इसलिए प्रार्थी किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रकरण में मुख्य बिन्दू विपक्षी संख्या 1 से 6 के पिता/पति के गोद जाने संबंधी हैं। यदि विपक्षी संख्या 1 से 6 के पिता/पति भूरा जी गोद गये होते तो प्रार्थी अवश्य ही गोदनामा की लिखापढी पेश करता परन्तु प्रार्थी द्वारा गोदनामा सम्बन्धी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे प्रथम दृष्टया भूरा जी के गोद जाने के तथ्य को माना जा सके। फिर भी यदि मान लिया जाये कि

भूरा जी गोद चले गये थे तो प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विरासत के नामान्तरकरण को केन्सल कराने की कार्यवाही क्यों नहीं की। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया कि विपक्षी संख्या 1 से 6 के पिता/पति का स्वर्गवास दिनांक 03.02.2016 को हुआ। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में उक्त वाद दिनांक 04.06.2016 को पेश किया अर्थात् भूरा के स्वर्गवास के 4 माह बाद प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपने नाम करवाने की कार्यवाही भूरा के जीवनकाल में क्यों नहीं की, इसका भी कोई कारण प्रार्थी द्वारा नहीं बताया गया।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 के पिता/पति के नाम पृथक पृथक दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 1 से 6 के पिता/पति का स्वर्गवास हो चुका हैं। उभय पक्षकारान एक दूसरे को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाह रहे हैं। यदि विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो विपक्षीगण विरासत का नामान्तरकरण पारित नहीं करवा पायेगें जिससे विपक्षीगण को काफी कठिनाईयों का सामना करना पडेगा। वर्तमान में उभय पक्षकारान वादग्रस्त भूमि के पृथक पृथक खातेदार होने से खातेदार को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग का पूरा अधिकार हैं। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के उभय पक्षकारान खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 से 6 के पिता/पति के नाम पृथक–पृथक रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उभय पक्षकारान एक दूसरे को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाह रहे हैं। वर्तमान में उभय पक्षकारान पृथक–पृथक रूप से खातेदार काश्तकार होने से यदि खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे खातेदार को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। चूंकि खातेदार को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग, विकास आदि करने का पूर्ण अधिकार हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा संतुलन का बिन्दु उभय पक्षकारान अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे हैं। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दु उभय पक्षकारान के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 से 6 के पिता/पति के नाम पृथक–पृथक रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उभय पक्षकारान एक दूसरे को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाह रहे हैं। प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1 से 6 के पिता/पति भूरा के गोद जाने का कथन कर भूरा के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहता हैं। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के उभय पक्षकारान खातेदार काश्तकार

होने से यदि खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदारों के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपूरणीय क्षति का बिन्दू उभय पक्षकारान अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे हैं। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु उभय पक्षकारान के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 से 6 के पिता/पति के नाम पृथक–पृथक रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उभय पक्षकारान एक दूसरे को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाह रहे हैं। प्रकरण वर्ष 2016 से विचाराधीन होकर लगभग 10 वर्ष पूर्ण हो चुके है। उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं थी। उभय पक्षकारान द्वारा अब तक ऐसा कोई दस्तावेज अथवा ठोस कारण नहीं बताया जिससे यह साबित हो सके कि खातेदारों के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक हो। यदि उभय पक्षकारान वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द अथवा हस्तान्तरण करने पर आमादा होते तो उभय पक्षकारान अवश्य ही कोई दस्तावेज पेश करते। अतः खातेदारों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी उभय पक्षकारान के विरूद्व निर्णित किये गये हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाये जाते हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली